न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 166 / 2025 बउनवानी अमृत सिंह गुर्जर **बनाम** तहसीलदार बौंली
निवासी जगतपुरा जयपुर

GCMS No-2025/ 330 **Appeal Number- 321953217527157**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम पंचायत बागड़ौली मे वर्ष 2020 से अब तक किये गये विकास कार्यो की प्रमाणित सूचना*** "तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ / 2025 / 124—25 दिनांक 27.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली से होने के कारण अपीलान्ट की अपील जरिये पत्रांक 123 दिनांक 27.11.2025 से विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये पत्रांक 223 दिनांक 27.11.2025 से विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली को अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने बाबत भिजवाया गया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध पंचायत समिति / ग्राम पंचायत से होने के कारण तहसीलदार बौंली द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। किन्तु यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त सूचना का संबंध तहसीलदार बौंली के कार्यालय से नही था तो तहसीलदार को तत्समय ही उक्त आवेदन पत्र को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है। लोक सूचना अधिकारी उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाही दर्शाता है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम की तय समय सीमा में संबंधित विभाग को अन्तरित किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर